



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 219]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 2, 1986/वैशाख 12, 1908

No. 219]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 2, 1986/VAISAKHA 12, 1908

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Page is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

कार्मिक, लोक शिक्षा तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 2 मई, 1986

अधिसूचना

सा. का. वि. 730 (प्र) :—प्रशासनिक प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 12 मई, 1986 को इस तारीख के रूप में विनिश्चित करती है जिस तारीख से उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) के उपबन्ध नीचे अनुसूची में दिए गए नियतों या समितियों और प्राधिकरणों पर लागू होंगे क्योंकि ये नियत या समितियाँ और अन्य प्राधिकरण सरकार के स्वाभिव्यक्ति या सरकार द्वारा नियंत्रित हैं :—

अनुसूची

क्रम नियम/समिति/अन्य प्राधिकरण का नाम

1	2	3
1.	कार्मिक विभाग तथा विविध उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रेड्स	संघीय विभाग

1	2	3
2.	कार्मिक विभाग	विभाग
3.	केन्द्रीय कार्यकर्ता शिक्षा बोर्ड	पंजीकृत समिति
4.	राष्ट्रीय श्रम संघ	पंजीकृत समिति
5.	राष्ट्रीय श्रम मुद्रा पत्रिका, प्रकाशक	पंजीकृत समिति

[सं. ए.-11019/16/86-ए. टी.]
पी. जी. सेले, निदेशक

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 2nd May, 1986

NOTIFICATION

GSR 730 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby specifies the 12th day of May, 1986, as the date on and from which the provisions of sub-section (3) of section 14 of the said Act shall

apply to the corporations or societies and other authorities, mentioned in the Schedule below, being the corporations or societies and other authorities owned or controlled by Government.

SCHEDULE

S.No. Name of the corporation/society/
other authority

1 2 3

1. Central Board of Trustees constituted under the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952. Statutory Body

- | 1 | 2 | 3 |
|----|--|--------------------|
| 2. | Employees' State Insurance Corporation | Corporation |
| 3. | Central Board for Workers' Education | Registered society |
| 4. | National Labour Institute | Registered society |
| 5. | National Council of Safety in Mines, Dhanbad | Registered society |

[No. A-11019/6/86-AT]

P. G. LALL, Director